बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, परैया, गया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–719 दिनांक–29.09.2026 के माध्यम से आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराते हुए कतिपय आरोप यथा– (1) दिनांक– 12.09.2026 को e-KYC की प्रगति से संबंधित बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्तर्गत नये राशन कार्ड निर्गमन हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिये जाने (3) दिनांक–16.09.2026 को जिला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में SMART PDS 2.0 के तहत राशन कार्ड निर्गमन हेतु online किये गये आवेदनों का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के e-PoS Machine/e-KYC की समीक्षा के क्रम में परैया प्रखंड का प्रतिशत उक्त जिलों में सबसे निम्न स्तर पर होने के साथ–साथ बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने (4) छूटे हुए पात्र लाभुकों को राशन कार्ड से आच्छादित करने हेतु कैम्प मोड में ऑफ लाईन आवेदन प्राप्ति में शिथिलता बरतने।, प्रतिवेदित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

इस प्रकार श्री आजाद द्वारा सरकारी कार्य में अभिरूचि नहीं लिये जाने तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता जैसे आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है। उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अधीन श्री आजाद के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, परैया, गया सम्प्रति निलंबित से अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मदों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिशः सुनवाई चाहते हैं।

3. श्री आजाद को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर तक विभाग को प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

(पवन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(गया)–23/2026 6549 खाद्य, पटना/दिनांक– 22-10-2026

प्रतिलिपि–1. श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/2024), निलंबित आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय–जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, गया, मो0–6287891466, E-Mail ID : amarjit5978@bihar.gov.in को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (अनु0–21 पृष्ठ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।